

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 12-01-2026

### विषय सूची

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से POCO अधिनियम में 'रोमियो-जूलियट' प्रावधान शामिल करने का आग्रह

भारत की समुद्री नीति

PSEs (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के निजीकरण हेतु तीव्र और मांग-आधारित वृष्टिकोण की आवश्यकता: CII

भारत द्वारा क्रिएटोकरेंसी एक्सचेंजों पर नियामक निगरानी सख्त

सरकार कृषि योजनाओं का विलय करेगी, निधियों को राज्य सुधारों से जोड़ेगी

राष्ट्रीय युवा दिवस 2026

संक्षिप्त समाचार

ज़ेहनपोरा में मिले स्तूप कश्मीर के समृद्ध बौद्ध अतीत को कैसे उजागर करते हैं?

पश्चिमी विक्षेप

एचपीवी टीकाकरण

केंद्र सरकार द्वारा फोन सोर्स कोड तक पहुंच मांगी

अभ्यास 'साझा शक्ति'

सेना दिवस परेड में प्रथम बार शामिल होंगी 'भैरव बटालियन'

परम शक्ति

हीरों में NV केंद्र

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से POCSO अधिनियम में 'रोमियो-जूलियट' प्रावधान शामिल करने का आग्रह

### संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति-आधारित किशोर संबंधों के मामलों में POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से 'रोमियो-जूलियट प्रावधान' को शामिल करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का आग्रह किया है।

### न्यायालय द्वारा उजागर किया गया मुख्य मुद्दा

- सहमति-आधारित किशोरावस्था का अपराधीकरण:** वर्तमान कानून के अंतर्गत, यदि दो व्यक्ति सहमति से रोमांटिक संबंध में हैं, तो जैसे ही उनमें से कोई एक 18 वर्ष से कम होता है (भले ही एक दिन ही क्यों न हो), कठोर POCSO प्रावधान लागू हो जाते हैं।
- आपराधिक प्रक्रिया का हानिकारक प्रभाव:** किशोर पुलिस जांच, गिरफ्तारी, मुकदमे और कारावास में उलझ जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक मानसिक और सामाजिक क्षति होती है।
- POCSO का दुरुपयोग और हथियारकरण:** न्यायालय ने नोट किया कि POCSO को युवा जोड़ों के विरुद्ध "हथियार" के रूप में प्रयोग किया गया है।
  - सामान्य प्रथाओं में उम्र की गलत जानकारी देकर POCSO प्रावधान लागू करना और परिवारों द्वारा उन संबंधों को दंडित या बाधित करने के लिए कानून का उपयोग करना शामिल है जिन्हें वे स्वीकार नहीं करते (जैसे अंतर-जातीय, अंतर-धार्मिक या गैर-अनुरूप संबंध)।

### रोमियो-जूलियट प्रावधान क्या है?

- एक कानूनी अपवाद, जो अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में विकसित हुआ, तथा शेक्सपियर के किशोर प्रेमियों के नाम पर रखा गया।
- यह सहमति की आयु को कम नहीं करता, बल्कि उम्र में निकट किशोरों को सहमति-आधारित अंतरंगता के लिए आपराधिक दायित्व से बचाता है।

- यह किशोरावस्था की वास्तविकताओं को स्वीकार करते हुए एक सुदृढ़ बाल संरक्षण ढाँचे को बनाए रखने का प्रयास करता है।

### रोमियो-जूलियट वृष्टिकोण की सीमाएँ

- कोई भी आयु-आधारित छूट केवल रेखा को पुनः खींचती है, मूल समस्या का समाधान नहीं करती।
- यह प्रावधान कठिन प्रश्न उठाता है, जैसे यदि 16–18 वर्ष के किशोरों को छूट दी जाती है, तो 16 वर्ष से कम वालों का क्या होगा, या किस सिद्धांत के आधार पर वही आचरण फिर से अपराध बन जाता है।

### POCSO अधिनियम, 2012 के बारे में

- उद्देश्य:** 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने के लिए अधिनियमित।
- लैंगिक-तटस्थ कानून:** किसी भी व्यक्ति को, जो 18 वर्ष से कम है, बच्चे के रूप में परिभाषित करता है, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो।
  - लागू क्षेत्र:** पुरुष और महिला दोनों पीड़ितों एवं अपराधियों पर लागू।
- अपराधों का वर्गीकरण:** भेदनकारी और गैर-भेदनकारी यौन उत्पीड़न, सेक्शुअल हैरेसमेंट और गंभीर अपराधों को शामिल करता है।
  - कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक के कठोर दंड निर्धारित करता है।
- विशेष न्यायालय और बाल-हितैषी प्रक्रियाएँ:** त्वरित, इन-कैमरा सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करता है।
  - शत्रुतापूर्ण पूछताछ से सुरक्षा सुनिश्चित करता है, आरोपी के संपर्क से बचाता है और मुआवजा व पुनर्वास का प्रावधान करता है।

स्रोत: IE

### भारत की समुद्री नीति

### संदर्भ

- भारत की समुद्री नीति ने महत्वपूर्ण विकास किया है, जो इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भ से गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि 'रूटलेज हैंडबुक ऑफ मेरीटाइम इंडिया' में विवेचित है।

## परिचय

- यह हैंडबुक भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और हिंद महासागर में इसकी रणनीतिक साझेदारियों पर प्रकाश डालती है।
- इसमें विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए पाँच निबंध शामिल हैं, जो भारत की बाहरी पहुँच के ऐतिहासिक विकास का पता लगाते हैं, विशेष रूप से चोल, मराठा, यूरोपीय और इंडो-अरब समुद्री व्यापार पर केंद्रित।

## भारत का समुद्री इतिहास

- प्रारंभिक काल:** भारत के समुद्री इतिहास की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व से होती है। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध रखते थे।
- दक्षिणी राजवंश:** चोल, चेर और पांड्य शक्तिशाली प्रायद्वीपीय भारतीय राजवंश थे जिनके सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप एवं चीन के साथ सुदृढ़ समुद्री व्यापारिक संबंध थे।
- अरब:** 8वीं शताब्दी ईस्वी तक अरब व्यापारी बड़ी संख्या में समुद्र के रास्ते भारत आने लगे। समय के साथ, आधुनिक पश्चिम एशिया के कई हिस्से यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के बीच व्यापार के केंद्र बिंदु बन गए।
- यूरोपियों का आगमन:** 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को-दा-गामा के कालीकट आगमन ने यूरोप से भारत तक एक नया और सीधा समुद्री मार्ग खोला।
- मराठों की समुद्री शक्ति:** मराठों ने भारतीय तटों पर ब्रिटिश नियंत्रण के विरुद्ध सबसे सुदृढ़ प्रतिरोध दिया।
  - छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय किलों का निर्माण किया तथा सिद्धी और पुर्तगालियों के विरुद्ध रक्षा को सुदृढ़ किया।
  - उनके नेतृत्व में मराठा नौसेना 500 से अधिक जहाजों तक बढ़ी और 40 वर्षों से अधिक समय तक पुर्तगालियों एवं ब्रिटिशों दोनों को रोके रखा।

- स्वतंत्रता पश्चात:** 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख बने।
  - 26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बनने के बाद नौसेना ने “रॉयल” उपसर्ग को हटा दिया और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया।

## भारत का समुद्री क्षेत्र

- भारत का समुद्री क्षेत्र उन समुद्री सीमाओं और क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
  - भारत की तटरेखा द्वीपीय क्षेत्रों सहित 11,000 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है।
- हिंद महासागर क्षेत्र:** हिंद महासागर विश्व के कुल महासागर क्षेत्र का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है।
  - यह उत्तर में ईरान, पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश; पूर्व में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया के सुंडा द्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया; दक्षिण में दक्षिणी महासागर; और पश्चिम में अफ्रीका तथा अरब प्रायद्वीप से घिरा हूआ है।



- समुद्री सुरक्षा:** यह राष्ट्र की संप्रभुता को समुद्रों और महासागरों से उत्पन्न खतरों से बचाने से संबंधित है।
  - खतरों में तटीय क्षेत्रों की रक्षा, उपलब्ध समुद्री संसाधनों जैसे मछली, अपतटीय तेल और गैस कुएँ, बंदरगाह सुविधाएँ आदि की सुरक्षा शामिल है।

## हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का महत्व

- भू-रणनीतिक महत्व:** हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।

- यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का केंद्र है — होर्मुज जलडमरुमध्य, बाब-एल-मंदेब, मलक्का जलडमरुमध्य, लोम्बोक जलडमरुमध्य — जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार प्रवाह का बड़ा भाग संभालते हैं।
- IOR पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जिससे यह भारत, चीन, अमेरिका और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्रीय क्षेत्र बन जाता है।
- **आर्थिक महत्व:** यह क्षेत्र लगभग 50% वैश्विक कंटेनर यातायात और 80% समुद्री तेल व्यापार को वहन करता है।
  - यह ब्लू इकोनॉमी गतिविधियों का केंद्र है: शिपिंग, मत्स्य पालन, समुद्र-तल खनन और पर्यटन।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** IOR वैश्विक ऊर्जा प्रवाह की जीवनरेखा है: पश्चिम एशिया से तेल और गैस इसके समुद्री मार्गों से पूर्व एशिया तक पहुँचते हैं।
  - भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, जिससे IOR की स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **ब्लू इकोनॉमी की संभावनाएँ:** IOR मत्स्य पालन, समुद्र-तल खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन में अवसर प्रदान करता है — जिसके लिए सुरक्षित समुद्रों की आवश्यकता है ताकि सतत दोहन सुनिश्चित हो सके।

### **IOR में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता**

- **इंडो-पैसिफिक संरचना:** इंडो-पैसिफिक भारतीय और प्रशांत महासागरों को एक रणनीतिक क्षेत्र में जोड़ता है तथा नए वैश्विक समुद्री व्यवस्था को आकार देने में IOR की केंद्रीयता को उजागर करता है।
  - यह भौगोलिक पुनर्कल्पना वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा में IOR की दृश्यता को बढ़ाती है।
- **वैश्विक व्यवस्था के लिए निहितार्थ:** IOR पर नियंत्रण निम्नलिखित को प्रभावित कर सकता है:
  - व्यापार प्रवाह (विशेषकर तेल और गैस)
  - रणनीतिक समुद्री मार्ग (जैसे होर्मुज, मलक्का, बाब-एल-मंदेब)

- **सैन्य तैनाती और अड्डों की लॉजिस्टिक्स**
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** प्रमुख शक्तियों की गतिविधियाँ (विशेषकर चीन की बढ़ती उपस्थिति और अवसंरचना निवेश) रणनीतिक संतुलन को बदलती हैं।
- **विखंडित समुद्री शासन:** कई तटीय राज्यों में निगरानी, कानून प्रवर्तन और मानवीय/आपदा प्रतिक्रिया (HADR) की क्षमता का अभाव है।
- **विविध विषम खतरे:** अवैध, अनियमित और अपंजीकृत (IUU) मत्स्य पालन, तस्करी, समुद्री डैकैती का पुनरुत्थान एवं वाणिज्यिक शिपिंग पर हमले सुरक्षा को जटिल बनाते हैं।

### **IOR में चुनौतियाँ**

- **चीन की नौसैनिक शक्ति का विस्तार:** क्षेत्र में चीनी नौसैनिक जहाजों की तैनाती संख्या और अवधि दोनों में बढ़ी है।
- **चीनी अनुसंधान और सर्वेक्षण जहाजों की तैनाती:** वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर संवेदनशील समुद्री और महासागरीय डेटा एकत्र करना।
- **समुद्री डैकैती:** अफ्रीका के हॉर्न और मलक्का जलडमरुमध्य के पास समुद्री डैकैती शिपिंग को खतरे में डालती है।
- **आतंकवाद और तस्करी:** आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और नेटवर्क समुद्री सीमाओं की कमजोरी का लाभ उठाते हैं।
- **रणनीतिक बंदरगाह विकास:** चीन IOR के तटीय राज्यों में बंदरगाह और अवसंरचना विकसित करने में सक्रिय है, जिनमें भारत की समुद्री सीमाओं के निकट वाले भी शामिल हैं।
  - यह चीन के दीर्घकालिक समुद्री शक्ति बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।

### **सरकारी पहलें**

- **सागरमाला कार्यक्रम:** भारत की तटरेखा और नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाने पर केंद्रित।
- बंदरगाह अवसंरचना, तटीय विकास और संपर्क को समर्थन देता है।

- तीर्थी बर्थ, रेल/सड़क संपर्क, मछली बंदरगाह, क्रूज़ टर्मिनल जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **मेरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (MIV 2030):** 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण राष्ट्रों में शामिल करने और विश्वस्तरीय, कुशल एवं सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य।
- **सागरमंथन संवाद:** वार्षिक समुद्री रणनीतिक संवाद, भारत को वैश्विक समुद्री वार्तालापों का केंद्र बनाने हेतु।
- **समुद्री विकास कोष:** ₹25,000 करोड़ का कोष, बंदरगाह और शिपिंग अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **MAHASAGAR पहल:** क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक एवं समग्र प्रगति) IOR में भारत की रणनीतिक पुनर्वादिंग को दर्शाता है।
- **नौसैनिक आधुनिकीकरण और स्वदेशी विकास:** भारत नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है:
  - स्वदेशी युद्धपोतों का कमीशनिंग (जैसे INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम।)
  - समुद्री क्षेत्र जागरूकता और शक्ति प्रक्षेपण को बढ़ाना।
  - यह IOR में भारत की सैन्य स्थिति और समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करता है।
- **भारत की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय कूटनीति:** भारत क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर चीनी अवसंरचना परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है।
  - यह चीन द्वारा वित्तपोषित अवसंरचना के सैन्य उपयोग से आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा को होने वाले जोखिमों पर बल देता है।
- **IOR का सैन्यीकरण पर भारत का दृष्टिकोण:** भारत का कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र का सैन्यीकरण वांछनीय नहीं है और यह हिंद महासागर तथा व्यापक इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

- यह IOR में चीनी वित्तपोषित अवसंरचना के सैन्य उपयोग के विरुद्ध भारत की स्थिति को दर्शाता है।

### निष्कर्ष

- भारत की समुद्री सुरक्षा पहले सैन्य क्षमता, अवसंरचना तत्परता, क्षेत्रीय साझेदारियों और कानूनी-संस्थागत ढाँचों का मिश्रण दर्शाती हैं।
- एक ईस्ट पॉलिसी, इंडो-पैसिफिक विजन और ब्लू इकोनॉमी जैसी पहले IOR में भारत की केंद्रीयता को सुदृढ़ करती हैं।

स्रोत: TH

### PSEs (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के निजीकरण हेतु तीव्र और मांग-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता: CII

#### संदर्भ

- हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपने केंद्रीय बजट 2026–27 के लिए दिए गए सुझावों में सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSEs) के निजीकरण हेतु एक तीव्र और मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।

#### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSEs) के बारे में

- ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ या राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रम होते हैं जिनमें सरकार की बहुमत हिस्सेदारी (51% या अधिक) होती है।
  - इनमें ऊर्जा, इस्पात, दूरसंचार, परिवहन और वित्त जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
  - इन्हें निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
    - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSEs)
    - राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम (SLPEs)
- इनकी देखरेख मुख्यतः वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) द्वारा की जाती है।
- **CPSEs का वर्गीकरण:**
- **महानवरत्न:** बड़े, अत्यधिक लाभदायक CPSEs जिनकी वैश्विक उपस्थिति महत्वपूर्ण है (जैसे ONGC, NTPC)।

- नवरत्न:** परिचालन स्वायत्तता और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले CPSEs (जैसे BEL, HAL)।
- मिनिरत्न:** छोटे CPSEs जो निरंतर लाभ कमाते हैं और परिचालन लचीलापन रखते हैं।

### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSEs) का विनिवेश

- यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सरकार राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी आंशिक या पूर्ण रूप से कम करती है।
- इसका उद्देश्य बाज़ार दक्षता लाना, निजी निवेश आकर्षित करना और सरकार पर वित्तीय भार कम करना है।

### ऐतिहासिक संदर्भ

- पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने PSEs को 'आधुनिक भारत के मंदिर' के रूप में देखा था।
  - हालाँकि, 1980 के दशक तक कई PSEs अक्षमता, अधिक कर्मचारियों और वित्तीय गैर-व्यवहार्यता की समस्याओं से ग्रस्त हो गए।
- 1991 में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत विनिवेश नीति औपचारिक रूप से आकार में आई, जिससे राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों में निजी भागीदारी की अनुमति मिली।
- इसके उद्देश्य थे:
  - पूँजी निवेश के माध्यम से PSEs का आधुनिकीकरण करना
  - राजकोषीय घाटा कम करना
  - जनता द्वारा व्यापक शेयर स्वामित्व को प्रोत्साहित करना
  - बाज़ार अनुशासन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाना

### नीति ढाँचा और तंत्र

- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) भारत के विनिवेश कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।
- प्रमुख तंत्र:**
  - अल्पसंख्यक विनिवेश:** सरकार बहुमत नियंत्रण बनाए रखते हुए छोटी इक्विटी हिस्सेदारी बेचती है।

- रणनीतिक विनिवेश:** इक्विटी बिक्री के साथ प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण (जैसे, 2021 में एयर इंडिया की बिक्री टाटा समूह को)।
- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs):** सरकारी इक्विटी निवेश फंडों में समाहित (जैसे CPSE ETF)
- शेयरों की पुनर्खरीद:** PSEs सरकार से अपने ही शेयर वापस खरीदते हैं।

### आर्थिक तर्क और लाभ

- राजकोषीय एकीकरण:** विनिवेश से प्राप्त आय गैर-कर राजस्व प्रदान करती है जिससे राजकोषीय घाटे को समाप्त किया जा सके।
- परिचालन दक्षता:** निजी प्रबंधन आधुनिक शासन और बाज़ार उत्तरदायित्व लाता है।
- बाज़ार विकास:** भारत के पूँजी बाज़ार की गहराई और तरलता बढ़ाता है।
- संसाधन अनुकूलन:** सरकार के संसाधनों को सामाजिक और अवसंरचना व्यय के लिए मुक्त करता है।
- रणनीतिक लाभ:**
  - सामाजिक और अवसंरचना व्यय को समर्थन देने हेतु गैर-कर राजस्व एकत्रित करना।
  - निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर उपक्रमों की परिचालन दक्षता में सुधारा।
  - लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में वैश्विक पूँजी आकर्षित करना।
  - घाटे में चल रहे या गैर-रणनीतिक परिसंपत्तियों को हटाकर राजकोषीय भार कम करना।

### चुनौतियाँ और चिंताएँ

- मूल्यांकन संबंधी चिंताएँ:** आलोचकों का कहना है कि बिक्री के दौरान परिसंपत्तियों का कभी-कभी कम मूल्यांकन किया जाता है।
- रोजगार पर प्रभाव:** निजी पुनर्गठन के कारण रोजगारों की हानि का भय।
- राजनीतिक विरोध:** रणनीतिक या सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे रेलवे, तेल) के निजीकरण पर प्रायः विरोध होता है।

- क्रियान्वयन में देरी: नौकरशाही प्रक्रियाएँ रणनीतिक विनिवेश को धीमा करती हैं।

### भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की सिफारिशें

- बाज़ार मूल्य खोलने हेतु संतुलित विनिवेश: CII के विश्लेषण से पता चलता है कि 78 सूचीबद्ध PSEs में सरकार की हिस्सेदारी को 51% तक कम करने से लगभग ₹10 लाख करोड़ मूल्य खुल सकता है।
  - सरकार की हिस्सेदारी को चरणबद्ध तरीके से पहले 51% और बाद में 33–26% तक कम करना चाहिए, जिससे रणनीतिक नियंत्रण बना रहे तथा उत्पादक पूँजी सामाजिक व अवसंरचना निवेश के लिए मुक्त हो सके।
  - चरण 1:** 55 PSEs को लक्षित करना जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75% या उससे कम है, जिससे ₹4.6 लाख करोड़ एकत्रित किए जा सकते हैं।
  - चरण 2:** 23 PSEs का विनिवेश करना जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75% से अधिक है, जिससे अतिरिक्त ₹5.4 लाख करोड़ एकत्रित किए जा सकते हैं।
- तीन-वर्षीय निजीकरण पाइपलाइन:** यह पूर्वानुमेय और पारदर्शी रोडमैप:
  - बेहतर निवेशक सहभागिता और मूल्यांकन सक्षम करेगा।
  - यथार्थवादी मूल्य खोज को सुगम बनाएगा।
  - निवेशक अपेक्षाओं को सरकारी समयसीमा के साथ संरेखित कर क्रियान्वयन को तेज़ करेगा।
- मांग-आधारित उपक्रम चयन:** CII ने वर्तमान निजीकरण क्रम को उलटने का आग्रह किया, वर्तमान प्रक्रियात्मक बाधाओं को उजागर करते हुए।
  - सरकार को पहले उपक्रमों की पहचान करने और बाद में खरीदार खोजने के बजाय:
  - व्यापक उपक्रमों में निवेशक रुचि का आकलन करना चाहिए।

- उन उपक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनमें अधिक मांग हो और जो मूल्यांकन मानकों को पूरा करते हों।

- निगरानी और शासन हेतु संस्थागत ढाँचा: CII ने पारदर्शिता और पेशेवर प्रबंधन बढ़ाने के लिए एक समर्पित संस्थागत ढाँचा बनाने का प्रस्ताव दिया। इसमें शामिल हैं:
  - रणनीतिक दिशा हेतु एक मंत्रीस्तरीय बोर्ड।
  - स्वतंत्र मानक निर्धारण के लिए उद्योग, वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञों का परामर्श बोर्ड।
  - उचित परिश्रम, क्रियान्वयन और बाज़ार सहभागिता की देखरेख हेतु एक पेशेवर प्रबंधन टीम।

### आगे की राह

- सरकार की राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) और रणनीतिक विनिवेश नीति (2021) एक संरचित, दीर्घकालिक दृष्टिकोण का संकेत देती है।
  - ध्यान केवल राजस्व सूजन से हटकर ‘एसेट रीसाइकिलिंग’ पर केंद्रित हो गया है, जहाँ विनिवेश से प्राप्त आय को अवसंरचना में पुनर्निवेश किया जाता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24** पारदर्शिता, सुदृढ़ मूल्यांकन ढाँचे और सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल देता है ताकि निजीकरण कुशल एवं न्यायसंगत हो सके।
- इंडिया विज़न 2036–37 रिपोर्ट** सतत सुधार पर बल देती है, जिसमें शामिल हैं:
  - बेहतर परिसंपत्ति मूल्यांकन तंत्र।
  - विनिवेश में व्यापक खुदरा भागीदारी।
  - निजीकरण किए गए उपक्रमों के लिए सुदृढ़ शासन ढाँचे।
  - विनिवेश से प्राप्त आय का कल्याण और अवसंरचना विकास में पुनः एकीकरण।

स्रोत: TH

## भारत द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर नियामक निगरानी सख्त

### संदर्भ

- वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए संशोधित धन शोधन निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (CFT) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

### भारत में क्रिप्टोकरेंसी की नियामक स्थिति

- क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
- क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित लेन-देन आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - सभी VDA सेवा प्रदाता धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत विनियमित हैं।
- भारत में संचालित क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए FIU नियामक के रूप में कार्य करता है।

### क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए दिशा-निर्देश

- पहचान सत्यापन:** एक्सचेंजों को ग्राहकों से एक अतिरिक्त पहचान और पता संबंधी दस्तावेज़ (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार का प्रमाण आदि) एकत्र करने का निर्देश दिया गया है।
  - मोबाइल नंबर और ईमेल को OTP के माध्यम से सत्यापित करना अनिवार्य है।
  - ग्राहक के बैंक खाते का सत्यापन 'पैनी-ड्रॉप' तंत्र से किया जाएगा ताकि खाते के स्वामित्व और परिचालन स्थिति की पुष्टि हो सके।
- लाइवनेम डिटेक्शन:** क्रिप्टो एक्सचेंजों को ऑनबोर्डिंग के समय उपयोगकर्ता की लाइव सेल्फी कैप्चर करनी होगी।
  - इसमें आँख झपकाना या सिर हिलाना जैसी तकनीक का उपयोग होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित है और स्वयं खाता बना रहा है।

- भू-स्थान (Geo-Location):** एक्सचेंजों को ऑनबोर्डिंग स्थान का अक्षांश और देशांतर रिकॉर्ड करना होगा।
  - तारीख, समय-मुद्रा (timestamp) और IP पता भी दर्ज करना अनिवार्य है।
- उच्च-जोखिम वाली क्रिप्टो गतिविधियों पर प्रतिबंध:** दिशा-निर्देश इनिशियल कॉइन ऑफरिंग (ICO) और इनिशियल टोकन ऑफरिंग (ITOs) को सख्ती से होतोत्साहित करते हैं, क्योंकि इन्हें धन शोधन एवं आतंकवाद वित्तपोषण के उच्च जोखिम वाला माना जाता है।
  - गुमनामी बढ़ाने वाले क्रिप्टो टोकन से संबंधित लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
- अभिलेख-रखरखाव:** एक्सचेंजों को ग्राहक की पहचान और पता संबंधी विवरण सुरक्षित रखना होगा।
  - लेन-देन के अभिलेख कम से कम पाँच वर्षों तक संरक्षित किए जाने चाहिए।

### क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- क्रिप्टोकरेंसी धन का एक डिजिटल रूप है** जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है और केंद्रीय बैंकों के बजाय विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन नेटवर्क पर संचालित होता है।
- प्रमुख विशेषताएँ:**
  - डिजिटल और विकेंद्रीकृत:** केवल ऑनलाइन उपस्थित और किसी एक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं।
  - क्रिप्टोग्राफी-आधारित सुरक्षा:** स्वामित्व और लेन-देन की सुरक्षा हेतु एन्क्रिप्शन एवं पब्लिक-प्राइवेट कीज़ का उपयोग।
  - ब्लॉकचेन तकनीक:** लेन-देन एक वितरित, छेड़छाड़-प्रतिरोधी सार्वजनिक लेज़र पर दर्ज होते हैं।
  - पीयर-टू-पीयर प्रणाली:** उपयोगकर्ताओं के बीच सीधे मूल्य हस्तांतरण की अनुमति।
- उदाहरण:** बिटकॉइन, एथेरियम और ऑल्टकॉइन्स।

### ब्लॉकचेन तकनीक

- ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत, वितरित लेज़र प्रणाली है जो कई कंप्यूटरों पर लेन-देन दर्ज करती है, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- ब्लॉकचेन नेटवर्क लेन-देन को मान्य करने और नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति एल्पोरिंग पर निर्भर करते हैं।
  - ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि केवल वैध लेन-देन ही श्रृंखला में जोड़े जाएँ।

### नए दिशा-निर्देशों का महत्व

- संशोधित दिशा-निर्देश भारत के क्रिप्टोकरेंसी नियामक ढाँचे को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(FATF) मानकों के अनुरूप लाते हैं।
- ये भारत की क्षमता को धन शोधन, आतंकवाद वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण जोखिमों को रोकने में सुदृढ़ करते हैं।

### आगे की राह

- FIU, RBI, SEBI और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक अंतर-एजेंसी समन्वय आवश्यक है ताकि सीमा-पार क्रिप्टो जोखिमों का समाधान किया जा सके।
- वास्तविक समय निगरानी और जोखिम आकलन में सुधार हेतु रेगेटेक(RegTech) और सुपटेक(SupTech) का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
- प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक प्राधिकरणों की क्षमता निर्माण आवश्यक है ताकि क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की प्रभावी जाँच एवं अभियोजन किया जा सके।

स्रोत: BL

### सरकार कृषि योजनाओं का विलय करेगी, निधियों को राज्य सुधारों से जोड़ेगी

#### संदर्भ

- केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी प्रमुख प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVV) के साथ तीन अलग-अलग चल रही योजनाओं को विलय करने का प्रस्ताव रखा है।

### परिचय

- PM-RKVV के साथ जिन योजनाओं का विलय किया जाना प्रस्तावित है, वे हैं:
  - कृषोन्नति योजना (KY): किसानों की आय बढ़ाने हेतु
  - राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
  - राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन (NBHM)
  - PM-RKVV, KY और NMNF केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा केंद्र और राज्य दोनों से संयुक्त रूप से प्रदत्त निधियों से किया जाता है, जबकि NBHM एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे केंद्र द्वारा वित्तपोषित एवं लागू किया जाता है।
- समय अवधि:** इसे आगामी पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा, जो 16वें वित्त आयोग चक्र (अप्रैल 2026 से मार्च 2031) के दौरान होगा।
- निधि आवंटन:** अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र-राज्य अनुपात 60:40
  - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
  - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र वित्तपोषण
- नीति आयोग की सिफारिशें:** प्रस्तावित विलय नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।
  - नीति आयोग ने पहले 15वें वित्त आयोग के उस विचार को पुनर्जीवित किया था जिसमें राज्यों को कृषि सुधार लागू करने के लिए प्रदर्शन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी।
- निधि आवंटन के मानदंड:** राज्यों को निधि आवंटन पाँच प्रमुख मानदंडों से जोड़ा जाएगा, जिसमें अधिकतम भागांक (30%) “राज्य द्वारा सुधार पहल और प्राप्त माइलस्टोन के आधार पर मूल्यांकन” को दिया जाएगा।
- विलय के पीछे तर्क:** योजनाओं के विखंडन को कम करना
  - प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना
  - संसाधनों का बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना

- निधियों को सुधार प्रदर्शन से जोड़ने का उद्देश्य राज्यों को संरचनात्मक और सतत कृषि सुधार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें प्राकृतिक खेती एवं विविधीकरण शामिल हैं।

#### **प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVV)**

- आरंभ:** 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु एक छत्र योजना के रूप में शुरू की गई।
- मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- लचीलापन:** यह राज्यों को जिला/राज्य कृषि योजना के अनुसार अपनी कृषि और संबद्ध क्षेत्र विकास गतिविधियाँ चुनने की अनुमति देता है।
- वित्तपोषण:**
  - केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात 60:40
  - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
  - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय अनुदान
- उद्देश्य:** राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- क्रियान्वयन:**
  - राज्यों को अपनी आवश्यकता, प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं/कार्यक्रमों के चयन, योजना अनुमोदन एवं क्रियान्वयन के लिए लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की गई है।
  - निधियाँ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को उन परियोजनाओं के आधार पर जारी की जाती हैं जिन्हें संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (SLSC) की बैठक में स्वीकृत किया गया हो।

स्रोत: IE

## **राष्ट्रीय युवा दिवस 2026**

### **समाचार में**

- हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया।

### **राष्ट्रीय युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस**

- यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और चिंतक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है, जिनका युवाओं की क्षमता में अटूट विश्वास आज भी देश के नागरिकों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
- उनका प्रेरणादायी जीवन और सशक्त संदेश युवाओं को अपने सपनों को पोषित करने, अपनी ऊर्जा को उजागर करने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है जो उनके आदर्शों के अनुरूप हो।
- युवा, जिन्हें 15–29 वर्ष की आयु वर्ग में परिभाषित किया गया है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा बनाते हैं।

### **महत्व**

- राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के युवाओं की आकांक्षाओं और जिम्मेदारियों को उजागर करता है, जो 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का 65% से अधिक हिस्सा हैं तथा विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- सरकार ने एक व्यापक युवा सशक्तिकरण ढाँचा तैयार किया है जिसमें नागरिक भागीदारी, कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, फिटनेस और राष्ट्रीय सेवा शामिल हैं। यह ढाँचा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के सहयोग से संचालित है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है।

### **संबंधित कदम**

- मेरा युवा भारत (MY Bharat):** यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त, प्रौद्योगिकी-आधारित मंच है जो युवाओं को स्वयंसेवा, कौशल विकास, नेतृत्व एवं अनुभवात्मक शिक्षा के अवसरों से जोड़ता है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS):** यह योजना छात्र युवाओं में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने और सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य रखती है।

- **अग्निपथ योजना (2022):** सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की।
    - इस योजना के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों को तीनों सेनाओं में ‘अधिकारी स्तर से नीचे’ की श्रेणी में चार वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है।
    - इस कार्यक्रम का उद्देश्य 17.5 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्षों की सैन्य सेवा के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करना है।
  - **प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार रूपांतरण (PM-SETU):** अक्टूबर 2025 में शुरू की गई यह प्रमुख योजना भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का आधुनिकीकरण करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक उद्योग मानकों के अनुरूप बनाने हेतु है।
  - **कौशल भारत मिशन (SIM):** 2015 में विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू किया गया, यह व्यक्तियों को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** 2015 में शुरू की गई, यह युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण और पुनः कौशल/उन्नत कौशल प्रदान करती है।
  - **जन शिक्षण संस्थान (JSS):** प्रारंभ में 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (SVP) के रूप में शुरू, यह गैर-औपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - **राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS):** अगस्त 2016 में शुरू, यह योजना प्रशिक्षुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है।
  - **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY):** 2014 में शुरू, यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ गरीब परिवारों की आय में विविधता लाने का उद्देश्य रखती है।
  - **ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs):** जनवरी 2009 में शुरू, यह योजना ग्रामीण युवाओं को मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करती है और प्रशिक्षण के बाद समर्थन व क्रांति सुविधा उपलब्ध कराती है।
  - **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (2025):** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित, ₹1 लाख करोड़ की राशि के साथ।
    - नव-नियोजित युवाओं को ₹15,000 तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक सहायता मिलेगी।
  - **स्टार्टअप इंडिया (2016):** नवाचार और उद्यमिता के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु।
  - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु।
  - **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK):** 2014 में शुरू, यह 10–19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों की समग्र स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु है।
- निष्कर्ष**
- **राष्ट्रीय युवा दिवस 2026** शिक्षा, स्टार्टअप, सेवा और नेतृत्व के माध्यम से भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
  - स्वामी विवेकानंद से प्रेरित यह दिवस इस बात पर बल देता है कि युवा केवल उत्तराधिकारी नहीं बल्कि भारत की 2047 की यात्रा के निर्माता हैं।
- स्वामी विवेकानंद**
- जन्म: 12 जनवरी 1863, कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में।
  - उन्होंने योग और वेदांत की हिंदू दर्शन को पश्चिम में परिचित कराया।
  - वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और भारत में आध्यात्मिक एवं सामाजिक सुधार के लिए समर्पित रहे।

- 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण से वैश्विक पहचान प्राप्त की, जिसमें उन्होंने सार्वभौमिक सहिष्णुता, सभी धर्मों की स्वीकृति और भारतीय परंपराओं पर गर्व का संदेश दिया।
- भारत लौटने के बाद उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन और 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की।
- उनकी शिक्षाओं, व्याख्यानों और लेखन (राजयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग) के माध्यम से उन्होंने योग का अध्यास एवं 'नव-वेदांत' के सिद्धांतों का प्रसार किया।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था।

स्रोत :PIB



## संक्षिप्त समाचार

**ज़ेहनपोरा में मिले स्तूप कश्मीर के समृद्ध बौद्ध अतीत को कैसे उजागर करते हैं?**

### संदर्भ

- पुरातत्वविदों ने फ्रांस के एक संग्रहालय में मिली सौ वर्ष प्राचीन तस्वीर के आधार पर ज़ेहनपोरा में प्राचीन बौद्ध स्तूप और बस्तियाँ खोजी हैं।

### परिचय

- ये टीले प्राचीन रेशम मार्ग के किनारे स्थित हैं जो कंधार और उससे आगे तक जाता था।
- ज़ेहनपोरा से बौद्ध स्तूप, एक शहरी बस्ती परिसर (संभवतः चैत्य और विहार), कुषाण कालीन मिट्टी के बर्तन, तांबे की कलाकृतियाँ एवं दीवारें मिली हैं। आगे की खुदाई में और भी खोजें अपेक्षित हैं।
- कुषाण वंश एक शक्तिशाली प्राचीन इंडो-ग्रीक वंश था जिसने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर भारत एवं मध्य एशिया के बड़े हिस्सों पर शासन किया।
  - उन्होंने भारत और बाहर व्यापार, शहरी केंद्रों और बौद्ध धर्म के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई।

- **महत्व:** ज़ेहनपोरा की खोज कश्मीर को 2000 वर्ष प्राचीन गंधार बौद्ध नेटवर्क से जोड़ती है।
  - यह दावा मजबूत करती है कि कश्मीर बौद्ध शिक्षा और मठवासी गतिविधियों का केंद्रीय केंद्र था।
- कश्मीर के उत्तरी भाग में कई प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हैं जैसे कनिसपोरा, उश्कुर, ज़ेहनपोरा और परिहासपोरा, जबकि श्रीनगर में हरवन एक प्रमुख बौद्ध परिसर का प्रतिनिधित्व करता है।
  - दक्षिण कश्मीर में सेमथान, हटमुर, होइनार और कुटबल जैसे पुरातात्त्विक स्थल हैं जिनका बौद्ध धर्म से गहरा संबंध है।
  - ये स्थल सामूहिक रूप से संरचनात्मक और कलात्मक साक्ष्यों के रूप में कश्मीर की बौद्ध विरासत को दर्शाते हैं।

### बौद्ध के मुख्य उपदेश

- **चार आर्य सत्य**
  - **दुःख:** जीवन दुःखमय या असंतोषजनक है।
  - **समुदय:** दुख की उत्पत्ति तृष्णा और आसक्ति (तन्हा) से होती है।
  - **निरोध:** तृष्णा को त्यागकर दुख का अंत संभव है।
  - **मार्ग:** दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।
- **आर्य अष्टांगिक मार्ग:** तीन श्रेणियों में विभाजित: प्रज्ञा, शील और समाधि।

- **अस्तित्व के तीन लक्षण:**
  - अनिच्छा (अनित्य): सभी वस्तुएँ निरंतर परिवर्तनशील हैं।
  - दुःख: अस्तित्व असंतोष से भरा है।
  - अनत्ता (अनात्मा): कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्म नहीं है।
- **लक्ष्य: निर्वाण (निब्बान)**
  - दुख और पुनर्जन्म से परे की अवस्था।
  - प्रज्ञा, नैतिक जीवन और मानसिक अनुशासन से प्राप्त।
  - निर्वाण अंतिम मुक्ति और शांति है।

**स्रोत: IE**

## पश्चिमी विक्षोभ

### समाचार में

- हिमालय में अपर्याप्त वर्षा मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ पैटर्न की कमजोर स्थिति के कारण है।

### पश्चिमी विक्षोभ के बारे में

- यह एक अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्यसागर क्षेत्र से उत्पन्न होता है।
  - यह पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है तथा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है।
    - विक्षोभ का अर्थ है “विक्षुब्ध” या कम वायुदाब वाला क्षेत्र।
    - प्रकृति में संतुलन होता है जिसके कारण वायु दबाव सामान्य करने का प्रयास करती है।
  - “अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तूफान” में तूफान का अर्थ है निम्न वायुदाब।
  - “अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय” का अर्थ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर।

### प्रभाव

- यह उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरा लाता है।
- रबी फसल के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- कभी-कभी यह बाढ़, भूस्खलन, धूल भरी आँधी, ओलावृष्टि और शीत लहर जैसी चरम घटनाएँ भी लाता है।

- यह शीतकालीन और पूर्व-मानसून वर्षा लाता है और उत्तरी उपमहाद्वीप में रबी फसल के विकास के लिए आवश्यक है।

**स्रोत: TOI**

## एचपीवी टीकाकरण

### संदर्भ

- एक बड़े जनसंख्या-आधारित अध्ययन ने दिखाया है कि उच्च एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण कवरेज असंक्रिमित महिलाओं में भी पूर्व-कैंसर गर्भाशय ग्रीवा घावों को कम कर सकता है, जो एक सुदृढ़ झुंड-सुरक्षात्मक प्रभाव को उजागर करता है।

### एचपीवी के बारे में

- एचपीवी एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है। अधिकांश संक्रमण लक्षणहीन और स्वयं सीमित होते हैं।
- **प्रकृति:** एचपीवी एक डीएनए वायरस है जो पैपिलोमाविरिडी परिवार से है।
- **एचपीवी से होने वाले रोग**
  - **गर्भाशय ग्रीवा कैंसर:** 95% से अधिक मामलों का संबंध एचपीवी से है।
  - **अन्य कैंसर:** गुदा, योनि, वुल्वा, लिंग और ओरोफैरिन्जियल कैंसर।
    - जननांग मस्से: गैर-कैंसरकारी।
- **एचपीवी टीकाकरण:**
  - यह सबसे खतरनाक एचपीवी प्रकारों से संक्रमण को रोकता है।
  - सबसे प्रभावी तब जब यौन जीवन शुरू होने से पूर्व (9–14 वर्ष की आयु) दिया जाए।

**स्रोत: IE**

## केंद्र सरकार द्वारा फोन सोर्स कोड तक पहुंच मांगी

### समाचार में

- सरकार भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं (भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएँ) के अंतर्गत सख्त स्मार्टफोन सुरक्षा नियमों की योजना बना रही है।

## भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आवश्यकताएँ

- 2023 में तैयार किए गए स्मार्टफोन सुरक्षा मानक वर्तमान में कानूनी प्रवर्तन के लिए समीक्षा के अधीन हैं। आईटी मंत्रालय आगे की चर्चा के लिए तकनीकी कंपनियों के अधिकारियों से मिलने वाला है।
- प्रमुख उपाय**
  - निर्माताओं से सरकार के विश्लेषण हेतु सोर्स कोड साझा करने की आवश्यकता।
  - प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति।
  - कैमरा और माइक्रोफोन का बैकग्राउंड में उपयोग रोकना ताकि दुरुपयोग न हो।
  - 83 सुरक्षा मानकों को पूरा करना और प्रमुख सॉफ्टवेयर अपडेट की सूचना सरकार को देना।

## उद्देश्य

- यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का भाग है ताकि उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार (लगभग 750 मिलियन फोन) में ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन बढ़ रहे हैं।

## उठी चिंताएँ

- एप्पल, सैमसंग, गूगल और श्याओमी जैसी तकनीकी कंपनियाँ इन प्रस्तावों का विरोध कर रही हैं, यह कहते हुए कि इसका कोई वैश्विक उदाहरण नहीं है और यह उनकी स्वामित्व वाली जानकारी के लिए जोखिम उत्पन्न करता है।
  - पहले के सरकारी नियम, जैसे अनिवार्य राज्य-प्रबंधित साइबर सुरक्षा ऐप, को भी विरोध का सामना करना पड़ा था, हालांकि कुछ सुरक्षा उपाय जैसे चीनी निर्मित कैमरों का परीक्षण लागू किया गया।
  - भारत में श्याओमी, सैमसंग और एप्पल का बाजार हिस्सा क्रमशः 19%, 15% और 5% है।

स्रोत: IE

## अभ्यास 'साझा शक्ति'

### समाचार में

- भारतीय सेना ने दक्षिणी कमान के अधीन महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र में दिघी हिल्स रेंज पर 'साझा शक्ति' नामक सैन्य-नागरिक समन्वय अभ्यास आयोजित किया।

### परिचय

- इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिक-सैन्य समन्वय को सुदृढ़ करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था, विशेषकर आपदाओं, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों तथा अन्य आपात स्थितियों के दौरान।
- 350 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय सेना और 16 नागरिक एजेंसियाँ शामिल थीं, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स बन एवं अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ।
- इस अभ्यास ने यह रेखांकित किया कि पिछड़े क्षेत्रों की सुरक्षा सशस्त्र बलों की एक प्रमुख जिम्मेदारी है और इसके लिए शांति कालीन आपात स्थितियों एवं सुरक्षा चुनौतियों के दौरान नागरिक संस्थानों के साथ निकट सहयोग आवश्यक है।

स्रोत: TOI

## सेना दिवस परेड में प्रथम बार शामिल होंगी 'भैरव बटालियन'

### समाचार में

- सेना की नई गठित भैरव बटालियन प्रथम बार जयपुर में आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड में भाग लेंगी।

### भैरव बटालियन

- इन्हें सेना मुख्यालय द्वारा वैश्विक संघर्षों और भारत के अपने परिचालन अनुभवों, जिसमें हालिया ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है, से सबक लेकर गठित किया गया है।

- इन्हें उच्च गति वाली आक्रामक इकाइयों के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्तरों पर विशेष बलों के कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हैं।
- इनका उद्देश्य पैरा स्पेशल फोर्सेज और नियमित पैदल सेना इकाइयों के बीच के अंतर को समाप्त करना है, जिससे वे सामरिक से परिचालन गहराई तक विशेष अभियानों का संचालन कर सकें।
- ये आधुनिक युद्ध पर केंद्रित हैं, जिसमें ड्रोन संचालन भी शामिल है।
- सेना 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों का एक पूल बनाने की योजना बना रही है।
- वर्तमान में 15 भैरव बटालियन उपस्थित हैं, और कुल 25 बनाने की योजना है।

### अन्य संबंधित विकास

- सेना ने रुद्र ब्रिगेड भी बनाई हैं, जिनमें पैदल सेना, मशीनीकृत इकाइयाँ, टैंक, तोपखाना, विशेष बल, ड्रोन और सहायक तत्व शामिल हैं।
- तोपखाना, मशीनीकृत पैदल सेना और बख्तरबंद कोर को आधुनिक युद्धक्षेत्र प्रणालियों से उन्नत किया जा रहा है ताकि परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।

स्रोत: TH

## परम शक्ति

### संदर्भ

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IIT मद्रास में स्वदेशी परम रुद्र प्रणाली को होस्ट करने वाली सुपरकंप्यूटिंग सुविधा ‘परम शक्ति’ का शुभारंभ किया है।

### परिचय

- इस प्रणाली को राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के अंतर्गत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) द्वारा विकसित और लागू किया गया है।
- परम शक्ति को C-DAC की स्वदेशी RUDRA श्रृंखला के सर्वरों से निर्मित परम रुद्र सुपरकंप्यूटिंग क्लास्टर द्वारा संचालित किया जाता है।

- यह प्रणाली 3.1 पेटाफ्लॉप्स की उच्चतम कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएँ कर सकती है।
- यह सुविधा पूरी तरह भारत में विकसित और निर्मित की गई है तथा ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पर चलती है।
- महत्व:** यह प्रणाली बड़े पैमाने पर सिमुलेशन सक्षम करती है, जिससे लंबे प्रयोगात्मक परीक्षणों पर निर्भरता कम होती है और अनुसंधान की समयसीमा तीव्र होती है।

### राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं का निर्माण करना था, चाहे वह निर्माण के स्तर पर हो या उपयोग के स्तर पर।
- NSM ने देश के शैक्षणिक संस्थानों जैसे IITs, NITs, IISER और IISc में शोधकर्ताओं के उपयोग हेतु 37 सुपरकंप्यूटर स्थापित करने की योजना बनाई थी।
- IIT मद्रास में परम शक्ति की स्थापना 37वें सुपरकंप्यूटर के रूप में हुई।
- वर्तमान में देश का सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर परम सिद्धि एआई है, जिसकी क्षमता 5.2 पेटाफ्लॉप्स है और यह पुणे स्थित C-DAC में स्थापित है।
- हालाँकि, यह कंप्यूटर एक वैश्विक डिज़ाइन है और पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं है।

स्रोत: IE

## हीरों में NV केंद्र

### समाचार में

- शोधकर्ताओं ने खोजा है कि हीरों में पाए जाने वाले छोटे दोष, जिन्हें नाइट्रोजन-रिक्टि (NV) केंद्र कहा जाता है, शक्तिशाली क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

### नाइट्रोजन-रिक्टि (NV) केंद्र

- सभी हीरे कार्बन परमाणुओं की कठोर जाली से बने होते हैं।

- NV केंद्र तब उत्पन्न होते हैं जब हीरे में एक कार्बन परमाणु को नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उसके पास एक रिक्त स्थान रह जाता है।
- ये “संपूर्ण दोष” क्रिस्टलीय संरचना में फँसे एकल परमाणु की तरह कार्य करते हैं और क्वांटम स्पिन सामंजस्य बनाए रखते हैं।
- NV केंद्र चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे वे सटीक क्वांटम सेंसर बन जाते हैं।
- वे कमरे के तापमान पर कार्य कर सकते हैं, जबकि अधिकांश क्वांटम प्रणालियों को अत्यधिक शीतलन की आवश्यकता होती है।

### नवीनतम विकास

- ऑस्ट्रिया और जापान के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि लगभग 9 ट्रिलियन NV केंद्रों का उपयोग एक सुपरकंडक्टिंग माइक्रोवेव कैविटी में करके एक सतत माइक्रोवेव बीम उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे एक डायमंड मेजर (माइक्रोवेव लेजर का समकक्ष) बनता है।

- यह प्रक्रिया “बकेट ब्रिगेड” तंत्र पर आधारित है, जहाँ ऊर्जा चुंबकीय डाइपोल-डाइपोल अंतःक्रियाओं के माध्यम से स्पिनों के बीच स्थानांतरित होती है और सतत उत्सर्जन बनाए रखती है।
- यह खोज दिखाती है कि स्पिन अंतःक्रियाएँ, जिन्हें पहले विघटनकारी माना जाता था, वास्तव में क्वांटम उपकरण विकसित करने और ठोस अवस्था प्रणालियों में सामूहिक उत्सर्जन की समझ को बढ़ाने में उपयोग की जा सकती हैं।

### संभावित अनुप्रयोग

- अत्यधिक स्थिर सुपररेडिएंट मेजर जिनकी लाइनविथ संकरी हो।
- कुशल संकीर्ण-बैंड माइक्रोवेव एम्प्लीफायर।
- क्वांटम प्रौद्योगिकियों और सटीक संवेदन के लिए अल्ट्रा-स्थिर आवृत्ति स्रोत।
- उन्नत क्वांटम सेंसर, जिनसे चिकित्सा इमेजिंग, पदार्थ विज्ञान और पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।

स्रोत: TH

